



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 132/एके०/एम०एस०यू०/2025-26

दिनांक: 27/05/2025

सेवा में

01. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
02. समन्वयक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग अधिनियम 13 मई 2025 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं०-D.O.NO.F-1-15/2016(ARC) दिनांक 13.05.2025 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक 293/एके०/एम०एस०यू०/2024-25 दिनांक 21.05.2024 द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ का गठन किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

अंतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त-पोषित महाविद्यालयों में एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ की स्थापना करना सुनिश्चित करें, साथ ही कृत कार्यवाही से दिनांक 01.06.2025 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार गौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

01. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. गार्ड फाईल।

उपकुलसचिव





आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary

277
DR
14-05-25



सत्यमेव जयते

श्री प्रो. मनिष र. जोशी
मुख्य (शैक्षणिक)
14-05-25
Dy. Secy

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

Act
38

D.O. No.F. 1-15/2016 (ARC)

23 वैशाख, 1947 / 13th May, 2025

Subject: Strengthening Compliance with UGC Anti-Ragging Regulations and Monitoring Mechanisms

आदरणीय महोदया/महोदय,

The University Grants Commission (UGC) remains committed to ensuring a safe and conducive learning environment in all Higher Educational Institutions (HEIs). It has been a year since UGC issued its notification mandating the implementation of robust anti-ragging mechanisms, including the Mentor-Mentee system, legal counsel support, institutional accountability, and surprise compliance checks.

As part of a structured review, UGC now seeks:

- 1. Compliance Verification:** HEIs and Regulatory Bodies are requested to submit reports detailing the implementation status of the UGC guidelines at email: ragging@ugc.ac.in. These reports should highlight institutional efforts to prevent ragging, including awareness drives, disciplinary measures, and proactive engagement with students.
- 2. Strengthened Monitoring Measures:** All Regulatory Councils and Monitoring Agencies must streamline anti-ragging compliance checks, enhance surprise inspections, and ensure strict enforcement of preventive policies within educational institutions.
- 3. Inter-Council Coordination:** To enhance enforcement, UGC invites AICTE, NMC, INC, and other relevant bodies to collaborate on compliance reviews and institutional inspections. A meeting to coordinate further action will be scheduled soon.

We urge all recipients to provide a detailed status report by 1st June, 2025 to ensure timely and effective implementation of anti-ragging measures.

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

सेवा में,

1. सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
2. सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।
3. सभी नियामक निकायों।

